

राजस्थान—सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458)स्था./पमु./2018/

दिनांक : ५/१/१८

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–2018 के लिये विभाग को आंवटित राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति एवं वसूली संबंधी कार्य हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि इस विभाग के समस्त उप महानिरीक्षक, समस्त उप पंजीयक कार्यालय एवं अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत्त जयपुर राजकीय अवकाश (जनवरी से मार्च तक प्रत्येक शनिवार) को कार्य दिवस के रूप में कार्यालय खोले जायेंगे।

उप महानिरीक्षकगण इस अवधि में चालू व पूरानी वसूली का अभियान चला कर अधिकाधिक वसूली कर मुख्यालय अजमेर को सूचित करे। इस अवधि में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति बिना स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(डॉ. राजेश शमी)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.2(458)/स्था./पमु./2018/ ३५-२१३

दिनांक : ५/१/१८

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार, लेखापरीक्षा-गा, राजस्थान—जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक जयपुर, राजस्थान।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाना सुनिश्चित करावे।
8. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को भेजकर लेख है कि इस संबंध में स्थानीय स्तर से अखबारों के माध्यम से प्रेस नोट जारी कर आमजनता को अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले होने की जानकारी उपलब्ध करावें।
10. समस्त उप पंजीयक।
11. सुश्री रेखा रावत, रीजनल मैनेजर, स्टॉक हॉल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, संगम टॉवर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अवकाश काल में अपने ई-स्टाम्प काउन्टर्स को खोलना सुनिश्चित करें।
12. निजी सचिव, महानिरीक्षक/शीघ्रलिपिक, अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय अजमेर।
13. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय अजमेर।

(रिणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर